न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 03/2017
दायर दिनांक :— 03—03—2017
निर्णय दिनांक :— 20—03—2018

अनवान

श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ चारभुजा

———अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2017 न्यायालय तहसीलदार, गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमनद मु0न0 20/16 ना0क0 कार्यवाही अन्तर्गत 91 एलआर एक्ट

उपस्थित :—

1— श्री सम्पत लढढा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या राजकीय अधिवक्ता

—: निर्णय :—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम गढबोर तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 5135/4557 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 0.13 बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिकमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने और लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/— आरोपित करने की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 27.01.2017 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट को मूल आराजी नम्बर 4557 में भूमि से आवंटन किया गया था । आज भी आराजी नम्बर 4557 जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ गढबोर के नाम पर अंकित है।

आपीलार्थी के नाम आराजी नम्बर 4557 रकबा 16.07.10 बीघा भूमि आंवटित की गई । जो मगरी के रूप में भी अपीलार्थी ने अथक परिश्रम अथाह लागत से मगरी को काटकर भूमि समतल करके करोडो रूपयों का निर्माण करवाया हैं एवं अब 27 वर्षो पश्चात आराजी नम्बर 4557 में ही किये हुये निर्माण को इसी आराजी के अन्य भाग में बता देना त्रुटिपूर्ण है। न्यायालय का उक्त आदेश अवैध विधिविरूद्व व प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलांट का अतिक्रमण आराजी नम्बर 5135/4557 कुल रकबा 1.10 बीघा किस्म सडक (सार्वजनिक निर्माण विभाग) की भूमि में रकबा 0.13 बीघा पर पक्की सडक के किनारे बाडन्ड्रीवाल ,नल कुप मय कमरा ,शौचालय हेतु ढाचा दरवाजा बनवाया जाकर अनधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखली का अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाण्ट का कब्जा किस भाग पर है यह स्पष्ट अंकित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलाण्ट के कब्जे की पुनः जांच करे यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो न्यायालय नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द